मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

दिनांक 15 अप्रैल, 2005
नई दिल्ली

लगभग 50 वर्ष पूर्व जब मैं इंगलैंड में एक विद्यार्थी था, उस समय मेरे एक महान शिक्षक लॉर्ड निकोलस काल्डोर कहा करते थे कि देश का विकास अपरिहार्य रूप से उन लोगों की मनःस्थिति और प्रेरणा पर निर्भर करता है जिनपर राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है। मुझे विश्वास है, कि यहाँ उपस्थित पुरुष और महिलाएं सामूहिक रूप से प्रयास करें तो हमें निश्चित रूप से देश के भाग्य को बदल सकते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के तीव्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश इतना अनुकूल पहले कभी नहीं था जितना कि वह आज है। ऐसे अनेक संसाधन हैं जो हमारे देश में निवेश के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें, शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकें, एक अनुकूल माहौल जो सुरक्षित और उनके लिए लाभप्रद हो, तैयार कर सकें। इस तरह, साथ-साथ कार्य करते हुए, जैसा कि मैंने कहा, हम इस देश का भाग्य बदल सकते हैं। आइये, हम सब मिलकर इस देश को युद्ध, भुखमरी और शोषण के अभिशाप से मुक्त करायें। इसलिए मुझे आप सभी का नई दिल्ली में एक बार फिर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मुख्यमंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हमने ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की थी। "ग्रामीण भारत को एक नई सौगात" देने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है और मैं समझता हूँ कि यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक प्राथमिकता है। गत सप्ताह माननीय खाद्य और कृषि मंत्री द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कृषि शिखर सम्मेलन में मुझे इस संबंध में अपनी नीति की रूपरेखा बताने का एक बार फिर से मौका मिला था। आप लोगों के साथ हुई बैठकों में हमने विचारों का आदान-प्रदान किया था और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत ढांचे के विकास के लिए अपनी कार्य-नीति निर्धारित की थी। प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में मैंने कहा था कि इन बुनियादी क्षेत्रों का विकास करना हमारी सर्वाधिक तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता होगी।

आज हम सार्वजनिक नीति के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। विकास और सुरक्षा के मुद्दे दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें लोकतांत्रिक नीति के दायरे में ही विकास और सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए मिल-जुल कर कार्य-नीति तैयार करनी होगी जो सभी मूलभूत मानवीय स्वतंत्रताओं का सम्मान करने के लिए और कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। लोकतंत्र का अभी तक का हमारा अनुभव अद्भुत रहा है और समग्र विश्व में हमारे

उस तरीके की सराहना हो रही है जिस तरह हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में अपने गणतंत्र के संस्थापकों के दृष्टिकोण के प्रति ईमानदार रहे हैं। समग्र विश्व में आज इसको समझा जा रहा है। विश्व में 100 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारे जैसी विविधताएं लिए हुए ऐसा कोई अन्य विकासशील देश नहीं है जहां लोकतांत्रिक प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और कानून के शासन के प्रति समर्पित है। इस संबंध में भारतवर्ष का उदाहरण और अनुभव 21वीं सदी में पूरे विश्व के लिए एक सबक होगा।

तथापि, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कि हमारा लोकतंत्र सामना कर रहा है। ये चुनौतियां आंशिक रूप से हमारी विकास प्रक्रियाओं में असमता, हमारे समाज में असमानता तथा हमारी राजनीतिक संस्थाओं की खामियों से उत्पन्न हुई हैं। अक्सर ये चुनौतियां इसलिए भी सामने आती हैं क्योंकि हमारा एक मुक्त समाज है और हमने विविध प्रकारों की असहमति को व्यक्त करने की खुली छूट दे रखी है। यह हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि यही हमारी शक्ति है। किन्तु इसमें एक चुनौती भी निहित है जिसके साथ हमें निपटने और इसका प्रभावी ढंग से सामना करने की जरूरत है।

एक जनतांत्रिक सरकार को मतभेद और असंतोष की न्यायोचित अभिव्यक्ति तथा हमारी लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक और जन-विरोधी खतरों के बीच भेद करना होता है। आज हमारे समक्ष आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों, उग्रवाद, विद्रोह, आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा और महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार जैसी अनेक चुनौतियाँ खड़ी हैं। हमारे सुरक्षा बल कानून के दायरे में अपराध और कानून एवं व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए अपने कर्त्तव्य से बंधे हुए हैं। दूसरी ओर, विद्रोह और उग्रवाद का एक राजनीतिक आयाम है जिसके लिए अक्सर सुरक्षा स्थिति का राजनीतिक हल निकालना अपेक्षित होता है। हमने कई बार पूर्वोत्तर अथवा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में राजनीतिक हल ढूँढने की कोशिश की है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक विचारधारा रखने वाले सभी लोगों को मिलकर आतंकवाद की इस चुनौती का ईमानदारी और सख्ती से मुकाबला करना चाहिए। आतंकवाद के मामले में कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं हो सकता। इसमें रत्ती भर भी विचार किए जाने की गुंजाइश नहीं है। इस बारे में कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की जा सकती। भारत के लोगों ने आतंकवादियों द्वारा दिए गए गंभीर कष्टों को झेला है और मुझे विश्वास है, मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ कि एक सभ्य और जनतांत्रिक समाज को इस खतरे से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आतंकवादी अच्छे या बुरे नहीं होते। ऐसा कोई कारण या तरीका नहीं है जो किसी भी रूप में भोलेभाले लोगों की हत्या को जायज ठहराता हो। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार निर्दोष लोगों पर तथा विधिवत् स्थापित लोकतांत्रिक सरकार के कार्मिकों पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

उग्रवाद केवल कानून और व्यवस्था का ही मुद्दा नहीं है। यह बात हम सभी मानते हैं। विकास अथवा उसके अभाव से उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जितना की शोषण और खराब सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पड़ता है। रोजगार के अपर्याप्त अवसर, संसाधनों का उपलब्ध न होना, अविकसित कृषि, मजदूरी कम देना, अलग-थलग भू-भाग और प्रभावी भूमि-सुधार उपायों का अभाव - ये सभी ऐसे कारक हैं जो उग्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा, जाति या मजहब अथवा सांस्कृतिक अधिकार भी कुछ अन्य जटिल मुद्दे हैं। इस जटिल विश्व में जहां हम निवास करते हैं, इन सभी चुनौतियों का सामना करने हेतु एक संयुक्त और प्रभावी रणनीति बनाने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

कारण चाहे कुछ भी हो किंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि समाज को आतंकवाद की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके चलते निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है, रोजगार बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है और शैक्षिक सुविधाओं में कमी आ सकती है। सीधी लागत में बुनियादी सुविधायें तैयार करने की बढ़ी लागत शामिल होगी जिसमें ' बलात् धन वसूली ' को ठेकेदार अपने अनुमानों (एस्टिमेट्स) में शामिल कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को अनियमित आपूर्ति और बनावटी लेवी का भार सहना पड़ता है। कुल मिलाकर, इससे सारे समाज और लोगों को हानि उठानी पड़ती है।

प्रायः वितरण प्रणालियां सबसे पहले शिकार बनती हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं। डिस्पेंसरियां नहीं खुलतीं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बंद हो जाती है। सार्वजिनक सेवा प्रदान करने वाले लोग अपनी कमियों को "उग्रवाद" के सर मढ़ देते हैं। बहुत से मामलों में जहां सहभागी तंत्र मजबूत नहीं है वहां उग्रवाद अपने पांव पसारने लगता है। इन क्षेत्रों में पंचायतें सामान्यतः कमजोर होती है और जहां कहीं ये हैं भी तो उनके पास समुचित अधिकार नहीं हैं। दूसरे दृष्टिकोण से पंचायतें महत्वपूर्ण भी होती हैं। वे मुख्यधारा से जुड़ी राजनीतिक पाटियों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समुदायों के माध्यम से वे राजनीतिक गतिविधियों के लिए जगह बनाती हैं। सामान्यतया पारंपरिक मुखियाओं तथा ग्राम सभाओं को उग्रवादियों द्वारा भी सम्मान दिया जाता है। सबसे निचले स्तर पर मुख्यधारा से जुड़े राजनीतिक दलों के अभाव में विशेष विचारधारा वाले लोगों द्वारा संचालित आन्दोलन उग्ररूप धारण कर लेते हैं।

जब कोई जायज असंतोष उग्रवाद का रूप ले लेता है तब इससे निपटने के लिए कोई दो राय नहीं हो सकती चाहे वह मात्र संकेतात्मक ही क्यों न हो। मेरा आग्रह है कि हमारे समक्ष उत्पन्न सुरक्षा के खतरे के इन विभिन्न पहलुओं को मुख्यमंत्रियों को, महत्व देना चाहिए और उन्हें उसका सामना करने के लिए प्रभावी नीतियां बनानी चाहिए। हमारे नागरिक किसी भी राजनीतिक विचारधारा को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वे जो सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन करना

चाहते हैं, उसके लिए उन्हें सामूहिक कार्रवाई का सहारा लेने की भी स्वतंत्रता है किन्तु किसी को भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती या उनसे हिंसा का सहारा लेने की आशा नहीं की जा सकती और उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना कार्य करने से रोकने या रोकने की कोशिश करने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे हमारी नीतियों में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। वार्ता तथा बातचीत का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि हम ऐसे किसी भी गुट के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं जो कि हिंसा के मार्ग का परित्याग करता है।

लेकिन हिंसा तथा इसे रोकने के राज्य सरकार के दायित्व संबंधी मूलभूत मुद्दों को शुरू में ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न हो या बाद में ऐसा महसूस न हो कि किसी को नीचा दिखाया गया है। हमारे देश में संकेत तथा भाव मायने रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे राज्यों के अधिकार क्षेत्र तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की इसकी मूल भूमिका में दखलन्दाजी पैदा होती हो। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि राज्य सशस्त्र हिंसा के खतरे का सामना करने से पीछे हट रहे हैं। हमें सख्त होना चाहिए लेकिन मानवाधिकारों की सीमाओं या गरिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अपने समाज को शोषित होने से बचाना चाहिए। तथापि, विधिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, अगर वे प्रक्रियात्मक दृष्टि से या प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अनुपयुक्त भी है, तो भी उनकी पूरी सावधानी और सहानुभूतिपूर्वक जांच की जानी चाहिए क्योंकि आखिर हम हमारे अपने लोगों से निपट रहे हैं चाहे वे सच्चाई के पथ से भटक गए हों।

आप लोग जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें, जो भी हमारे सामर्थ्य में है, अपेक्षित नीतियां बनाने, कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने और वांछित परिणाम देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह हमारा समान लक्ष्य है और समान ध्येय है। हमें जन-असंतोष के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना चाहिए और खास क्षेत्रों और खास वर्गों की लम्बी समय से उपेक्षित भावनाओं या वंचित लोगों की कड़वाहट का समझदारी से समाधान निकालना चाहिए। लेकिन हमें विधिवत् रूप से चुनी हुई सरकारों को बनाये रखने के अपने संकल्प के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे जटिल मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रतिबद्ध, सुसम्बद्ध एवं बहु-विषयी ग्रुप की आवश्यकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस ग्रुप के पास आधिकारिक और राजनैतिक, दोनों—स्तरों पर मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और समर्थन होना चाहिए तथा हर परिस्थिति में उच्च राजनीतिक नेतृत्व तक इसकी सीधी पहुंच होनी चाहिए।

मैंने अच्छे शासन के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। इसके लिए यदि मानवोचित हो तो प्रभावी ढंग से कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना और कुशल पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस सम्मेलन से मेरा अनुरोध है कि आप

सब मिलकर पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर भी चर्चा करें। एक सुप्रशिक्षित, संवेदनशील, जनप्रिय परन्तु मजबूत पुलिस बल अच्छे शासन का एक अनिवार्य अंग हैं। सरकार के पास विचार करने के लिए पुलिस सुधारों संबंधी बहुत सी जांच समितियों के निष्कर्ष एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। मैं मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे मौजूदा समितियों की सिफारिशों को सर्वाधिक महत्व दें और प्रशिक्षण में, सेवा-शर्तों में, कैरियर प्रोन्नयन में, तकनीकी सहायता में और अन्ततः हमारे पुलिस बलों की कार्यप्रणाली के अधिकाधिक संभव स्तर तक गैर-राजनीतिकरण में अपेक्षित सुधार करने की कार्रवाई शुरू कर दें।

मैं पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों, विशेषकर देश के उन भागों में तैनात सुरक्षा बलों के साहस, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता की भावना का सम्मान करता हूँ जहां राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी ताकतों के कारण अशांति फैली हुई है। सीमावर्ती राज्यों में सीमा पार से आतंकवादी तत्वों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ से निपटने में हमारे सुरक्षा बलों ने जिस साहस एवं प्रतिबद्धता का परिचय दिया है, उसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। गृह मंत्री जी ने हमारा ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि पिछले एक वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ और हिसा की घटनाओं में काफी कमी आयी है। मैं गृह मंत्री जी को, उनके मंत्रालय को, अपने सुरक्षा बलों को और राज्य सरकारों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। अभी हाल में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच शुरू की गई बस सेवा को बाधित करने के आतंकवादी तत्वों के कायरतापूर्ण प्रयास का जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने सड़कों पर आकर विरोध किया और मेल-मिलाप बढ़ाने के इस प्रयास का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे आशा है कि क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी और अतिवादी ग्रुप जनता की भावना को भांप गये हैं और वे पुनः इस बस सेवा में व्यवधान डालने का प्रयास नहीं करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार और नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के स्थानीय प्राधिकारियों का यह संयुक्त दायित्व है कि वे इस बस सेवा को पूरी सुरक्षा प्रदान करें जो अमन-चैन और आपसी मेल-मिलाप को बढ़ावा देने वाली सेवा है। मुझे पूर्ण आशा है कि हम निर्दोष लोगों की जिन्दगी बचाने और क्षेत्र में आतंकवाद के स्रोतों से लड़ने में मिलजुलकर काम कर सकते हैं।

हमने यह भी देखा है कि पूर्वोत्तर के अनेक भागों में उग्रवादी हिंसा में कमी आई है जिसमें मणिपुर और असम भी शामिल हैं, तथा सामान्य स्थिति बहाल हुई है। मेरा पूर्ण रूप से मानना है कि इस क्षेत्र में तेजी से आर्थिक विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं बशर्ते कि हम शांति और सुरक्षा माहौल सुनिश्चित कर सकें। ऐसे समय में जब कि वर्तमान शताब्दी एशियाई शताब्दी बनने जा रही है, दक्षिणी एशिया एवं पूर्वी एशिया के बीच एक सक्रिय सेतु बनने का सौभाग्य पूर्वोत्तर को प्राप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में अलग-अलग राजनीतिक विचार धाराओं के लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे और हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि लायेंगे। मैं फिर इस बात पर जोर देता हूँ कि हिंसा से और बल प्रयोग से वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसकी

इच्छा विद्रोही और आतंकवादी करते हैं। हमारी सरकारें विद्रोह से सख्ती के साथ निपटेगी। फिर भी, हम चाहते हैं कि किसी भी ऐसे गुट के साथ ईमानदारी से और अर्थपूर्ण बातचीत की जाय जो हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत करना चाहता है।

मुझे मालूम है कि कई मुख्यमंत्री नक्सलवाद के खतरे से जूझ रहे हैं। हम इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते कि नक्सलवाद का खतरा भौगोलिक रूप से देश के अधिक पिछड़े क्षेत्रों और जिलों में फैला हुआ है। अतः इन जिलों और क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था के प्रति इस खतरे से निपटने के लिए हमें सक्रिय कार्यनीति अपनानी होगी। हमें ऐसे कार्यक्रम और नीतियां लागू करनी होंगी जिनसे जनता की और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यक जरूरतों और मांगों को पूरा किया जा सके। साथ ही, प्रभावी पुलिस व्यवस्था तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना भी सुनिश्चित करना होगा। भूमि सुधारों को तेजी से लागू करना, भूमि का पुनर्वितरण करना, वन्य उत्पादों पर जनजातियों के अधिकार सुनिश्चित करना, विकास परियोजनाएं लागू करना तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना ये सब ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमें उठाने हैं।

इसी के साथ हम आज के नक्सलवाद के अंतर्राज्य एवं बाह्य आयामों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य सरकारों में परस्पर तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है। जैसा कि गृह मंत्री जी ने बताया है कि देश के भीतर और देश के बाहर नक्सली गुटों में बढ़ रही सांठगांठ को देखते हुए नक्सलवाद से निपटने के लिए हमें एक व्यापक कार्यनीति अपनानी होगी। मैं आपका ध्यान आतंकवादी गुटों, संगठित अपराध सिंडिकेटों के बीच सांठगांठ, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की इच्छुक विदेशी ताकतों की ओर भी दिलाना चाहता हूँ जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी ने किया है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से पुरजोर अनुरोध करता हूँ कि ऐसी शक्तियों और ग्रुपों को हमारी राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखें। हमें देश में राजनीति के अपराधीकरण को बिलकुल सहन नहीं करना चाहिए।

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि हाल ही के कुछ महीनों के दौरान देश में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार और मैं जाति अथवा मजहब के भेदभाव के बिना अपने देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम सभी अल्पसंख्यकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा दोनों के ही लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक राष्ट्र के रूप में अपना वजूद बनाया है, इसलिए हम विश्व में एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय, बहु-भाषीय और बहु-मजहबी सफल प्रजातंत्र के रूप में अपना स्थान बनाये हुए हैं। विश्व में अन्य किसी स्थान पर ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जहां एक अरब लोग एक खुले समाज तथा खुली अर्थव्यस्था के ढांचे में अपना भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हों। अतः राष्ट्र के प्रहरी के रूप में हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी राष्ट्रीयता के इस मूल्यवान स्वरूप को कट्टरपंथियों और धर्मान्ध लोगों के

हाथों कमजारे न होने दें। हमारे सुरक्षा बलों को भी इस मामले में चौकस रहना होगा और साम्प्रदायिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे पुलिस और सुरक्षा बलों का संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो।

कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हो रहे अपराध किसी भी सभ्य समाज के लिए अशोभनीय हैं। समाज के कमजोर वर्गों के साथ हुए अन्याय से चिंतित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके हितों की रक्षा करने तथा नस्ल एवं जाति के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए संविधान में व्यापक प्रावधान किए हैं। श्रेष्ठतम उद्देश्य तथा प्रयासों के बावजूद समाज में इन वर्गों के विरुद्ध आज भी अपराध हो रहे हैं। यह गंभीरतापूर्वक आत्म-विश्लेषण करने तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्य-नीतियों की व्यापक समीक्षा करने के साथ-साथ उन कारकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है जो कि इस प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए उत्तरदायी हैं। समाज के इन संवेदनशील वर्गों, खासकर हमारी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा एक व्यापक कार्य-योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को साथ-साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करुंगा कि वे आसूचना एकत्रित करने और आसूचना सेवा और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के मामले पर विशेष रूप से ध्यान दें। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां मनुष्य का ज्ञान असीमित गति से बढ़ रहा है। संचार, परिवहन, तकनीकी क्षेत्रों में विकास ने आज असामाजिक आतंकवादी तत्वों को उनके घिनौने कृत्यों को अंजाम देने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील तकनीकों को भेदने के लिए समर्थ बना दिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे आसूचना संग्रहण और हमारी सुरक्षा सामग्री को स्थिति के अनुरूप बनाना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्वस्त जानकारी की यथासमय उपलब्धता एक मुख्य आवश्यकता है। हमारी आसूचना एकत्रित करने वाली एजेंसियों के पास मानवीय आसूचना एकत्रित करने और नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने का एक शानदार रिकार्ड है। परंतु इस क्षेत्र में हमें काफी कुछ और करने की जरूरत है। तथापि, हम आत्मस्तुति तक ही सीमित न रहें अपितु हमें अपने कौशल और क्षमताओं में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। विभिन्न आसूचना एजेंसियों के बीच, ऐसी एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच, केन्द्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समझ तथा तालमेल होना चाहिए।

आर्थिक सुरक्षा, साईबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कंटेनर सुरक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयामों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें इन सभी क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों में हमारे समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा की है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देश के बाहर से दी जाने वाली किसी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमें हमारे बहादुर सुरक्षा बलों पर गर्व है। हम आंतरिक सुरक्षा को बाह्य खतरों से बचाने और आतंकवाद और आतंकवादी विचारधारा से लोहा लेने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इस चुनौती से और अन्य आपराधिक/उग्रवादी तथा विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप इस संबंध में मिल-जुलकर युद्ध स्तर पर कार्य करें और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित करें।

अन्त में, मैं अपने संबोधन में शामिल दो महत्वपूर्ण विषयों को दुहराना चाहूँगा, प्रथम यह कि किसी भी लोकतांत्रिक और कानून का सम्मान करने वाले समाज में हिंसा तथा उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है और हमें इस गलत रास्ते को अपनाने वाले सभी गुटों को सख्ती से स्पष्ट संदेश भेज देना चाहिए। इसके साथ ही, हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के कष्टों को नजरदांज करने के कारण घृणा और अलगाव की भावना पैदा होती है। अब इस बात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम एक ऐसा अच्छा शासन दें जो सब में आशा की किरण जगाए और हम सब लोगों के भविष्य के बारे में सोचे।

मैं यह कामना करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों।

******